रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—15 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—15

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 7] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/ चैत्र 2, 1937 (शक)
No. 7] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/ CHAITRA 2, 1937 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 23*rd March,* 2015/*Chaitra* 2, 1937 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 20th March, 2015, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2015

No. 4 of 2015

[20*th March*, 2015.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the States of Haryana, Karnataka and Odisha and the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2015.

C.O. 19.

Amendment of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,—

(*a*) in Part V.—*Haryana,* for entry 19, substitute,—

"19. Kabirpanthi, Julaha, Kabirpanthi Julaha";

(*b*) in PART VII.—*Karnataka,* for entry 23, substitute,—

"23. Bhovi, Od, Odde, Vaddar, Waddar, Voddar, Woddar, Bovi (Non-Besta), Kalluvaddar, Mannuvaddar";

(*c*) in PART XIII.—*Odisha,*—

(*i*) for entries 26 and 27, substitute,—

"26. Dhoba, Dhobi, Rajak, Rajaka

27. Dom, Dombo, Duria Dom, Adhuria Dom, Adhuria Domb";

(*ii*) for entries 44, 45 and 46, substitute,—

"44. Katia, Khatia

45. Kela, Sapua Kela, Nalua Kela, Sabakhia Kela, Matia Kela, Gaudia Kela

46. Khadala, Khadal, Khodal";

(*iii*) for entry 91, substitute,—

"91. Turi, Betra";

(*d*) in PART XXIV.—*Uttaranchal,* for "Uttaranchal", substitute, "Uttarakhand".

Amendment of the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

3. In the Schedule to the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, for entry 2, substitute,— C.O. 64.

"2. Chamar, Rohit.".

DR. SANJAY SINGH,
Secretary to the Govt. of India.

CORRIGENDUM

In the PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT ACT, 2015 (2 OF 2015) as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 1, Issue No. 5, dated the 14th March, 2015 at page 1, in Heading *for* "AMENDMENTS" *read* "AMENDMENT".

CORRIGENDA

In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015, No. 3 of 2015, as published in the Gazette of India Extaordinary, Part II, Section 1, Issue No. 3, dated the 12th January, 2015,—

(1) At page 2, in line 14, *for* "occuring", *read* "occurring"

(2 At page 13 in line 19, *for* "occuring", *read* "occurring"

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2015.

GMGIPMRND—5569GI(S3)—24-03-2015.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰—221 REGISTERED NO. D—221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2— अनुभाग 1क
PART II—SECTION 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 1 No. 1	नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 जनवरी, 2016/9 माघ, 1937 (शक) NEW DELHI, FRIDAY, 29 JANUARY, 2016/9 MAGHA, 1937 (SAKA)	खंड LII Vol. LII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016/9 माघ, 1937 (शक)

दि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन ऐक्ट, 2014; (2) दि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी ऐक्ट, 2014; (3) दि मर्चेंट शिपिंग (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (4) दि पब्लिक प्रिमिसेस (इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड ओकुपेंट्स) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2015; (5) दि कान्स्टिट्यूशन (शेडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (6) दि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2015; (7) दि रीजनल रूरल बैंक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (8) दि वेयरहाऊसिंग कारपोरेशंस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (9) दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग ऐक्ट, 2015; (10) दि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (11) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2015; और (12) दि दिल्ली हाई कोर्ट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
New Delhi, 29 *January*, 2016/9 *Magha*, 1937 *(Saka)*

The translation in Hindi of the following, namely:—The National Institute of Design Act, 2014; (2) The Indian Institute of Information Technology Act, 2014; (3) The Merchant Shipping (Second Amendment) Act, 2014; (4) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2015; (5) The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2015; (6) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015; (7) The Regional Rural Banks (Amendment) Act, 2015; (8) The Warehousing Corporations (Amendment) Act, 2015; (9) The Repealing and Amending Act, 2015; (10) The Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015; (11) The Finance Act, 2015; and (12) The Delhi High Court (Amendment) Act, 2015 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause *(a)* of sub-section *(1)* of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 18) 3
The National Institute of Design Act, 2014

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 30) 17
The Indian Institute of Information Technology Act, 2014

वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 32) 39
The Merchant Shipping (Second Amendment) Act, 2014

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) 45
The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2015

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 4) 49
The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2015

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 10) ... 51
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 14) 63
The Regional Rural Banks (Amendment) Act, 2015

भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 16) 67
The Warehousing Corporations (Amendment) Act, 2015

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 17) 69
The Repealing and Amending Act, 2015

संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 18) 73
The Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015

वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 20) 77
The Finance Act, 2015

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) 171
The Delhi High Court (Amendment) Act, 2015

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 4)

[20 मार्च, 2015]

हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

सं0 आ0 19

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—

(क) भाग 5—हरियाणा में, प्रविष्टि 19 के स्थान पर रखें,—

"19. कबीरपंथी, जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा";

(ख) भाग 7—कर्नाटक में, प्रविष्टि 23 के स्थान पर रखें,—

"23. भोवी, ओड, ओड्डे, वड्डार, वड्डर, वोड्डार, वोड्डर, बोवी (बिस्ता इतर) कल्लूवाड्डार, मन्नूवड्डार";

(ग) भाग 13—ओडिशा में,—

(i) प्रविष्टि 26 और प्रविष्टि 27 के स्थान पर रखें,—

"26. धोबा, धोबी, रजक, रजाका ;

27. डोम, डोम्बौ, दुरिया डोम, अधुरिया डोम, अधुरिया डोम्ब" ;

(ii) प्रविष्टि 44, प्रविष्टि 45 और प्रविष्टि 46 के स्थान पर रखें,—

"44. कटिआ, खाटिया ;

45. केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सबखिया केला, मटिया केला, गोडिया केला ;

46. खदाल, खादल, खोदल";

(iii) प्रविष्टि 91 के स्थान पर रखें,—

"91. तुरी, बेतरा";

(घ) भाग 24—उत्तरांचल में "उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखंड" रखें ।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का संशोधन ।

3. संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 की अनुसूची में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर रखें,— सं० आ० 64

"2. चमार, रोहित ।" ।